एक प्रति निम्नलिख्त को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेत वित्तायुक्त, हरियाणा, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को भेजी जाती है ।

मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 36/2/78-5जी0 एस0 I दिनांक 24 जनवरी, 1978 की प्रति ।

विषय :—स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन ।

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आप का ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 6513-5 जी0 एस0 I 77/30195, दिनांक 30-9-77 की ओर दिलाऊं और सूचित करूं कि सरकार ने मामले पर पुन विचार करके निर्णय लिया है कि 31 मार्च 1978 से पूर्व यदि किसी आराजपत्रित कर्मचारी का स्थानान्तरण करना प्रशासकीय हित में अनिवार्य हो तो इसके लिए कार्यकारी मन्त्री की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। राजपत्रित कर्मचारियों के बारे में पहले की भांति मुख्य मन्त्री महोदय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

कृपया उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए।

भवदीय,
हस्त/-
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

2 एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा और सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।